

भारत सरकार  
परमाणु ऊर्जा विभाग  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या-2730  
उत्तर दिनांक 11/12/2024 को दिया गया  
भारी जल उत्पादन इकाइयां

2730. श्री परषोत्तमभाई रुपाला

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

- (क) क्या सरकार/परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा नए उत्पादन स्थलों में वृद्धि करने के लिए मौजूदा भारी जल उत्पादन इकाइयों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के लिए कदम उठाए गए हैं;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ग) क्या भारी जल का उत्पादन करने वाली मौजूदा इकाइयों/स्थलों पर पर्याप्त जनशक्ति और संसाधन उपलब्ध हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और
- (घ) क्या परमाणु ऊर्जा विभाग ने गुजरात राज्य सरकार की अपनी हजीरा परियोजना में भारी जल उत्पादन हेतु अधिग्रहीत भूमि उपयोग की प्रकृति को संशोधित करने का अनुरोध किया है, यदि हां, तो इस संबंध में भावी कार्य योजनाएं क्या हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधानमंत्री कार्यालय (डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) हां।

(ख) परमाणु ऊर्जा विभाग की संबद्ध इकाई भारी पानी बोर्ड ने तीन स्थानों - मणुगुरु (तेलंगाना), कोटा (राजस्थान) और हजीरा (गुजरात) में भारी पानी उत्पादन के विस्तार/संवर्धन के लिए कदम उठाए हैं।

(ग) मौजूदा स्थलों पर उपलब्ध संसाधन और वर्तमान संस्वीकृत मानवशक्ति भारी पानी की वर्तमान मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं। भारी पानी बोर्ड (केंद्रीय कार्यालय) और इसकी इकाइयों/स्थलों की मानवशक्ति की संस्वीकृत संख्या निम्नानुसार है :-

स्थान	मुंबई (केन्द्रीय कार्यालय)	मणुगुरु	कोटा	तूतिकोरिन	बडौदा	तलचर	कुल
	314	1627	712	434	521	264	3872

(घ) हां, परमाणु ऊर्जा विभाग ने गुजरात राज्य सरकार से अपनी हजीरा परियोजना में भारी पानी उत्पादन के लिए निर्धारित अधिग्रहित भूमि उपयोग में संशोधन के लिए अनुरोध किया है। राज्य सरकार के अधिकारियों ने हजीरा स्थल का दौरा किया है और मेसर्स कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड और भारी पानी संयंत्र प्राधिकारियों के साथ इस पर चर्चा की है।

\*\*\*\*\*